



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./स्टे/फलौदी/जोधपुर/2020/ 182(

जयपुर, दिनांक:- 23-11-2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 7965/2020 में दायर अपील में पारित आदेश दिनांक 10.9.2020 के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रानुसार विभागीय आदेश क्रमांक 1082 दिनांक 11.8.2020 (क्रम संख्या 17) जिसके द्वारा श्री ललित कुमार का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति फलौदी जिला जोधपुर से पंचायत समिति देचू जिला जोधपुर किया गया था को निरस्त किया जाता है। श्री ललित कुमार यथावत विकास अधिकारी पंचायत समिति फलौदी जिला जोधपुर के पद पर कार्यरत रहेंगे।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(विजय पाल सिंह)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, जोधपुर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति फलौदी/देचू।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)